राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

1	2	3	4
क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2305 / 2022	रामकिशन राव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डोली, जिला सीकर (राज.)।
2.	2306 / 2022	गुरूदत्त शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Chala Ki Dhani, जिला सीकर (राज.)।
3.	2307 / 2022	श्रीराम सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आगवाड़ी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
4.	2308 / 2022	जगन लाल बाबेरवाल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Chala, जिला सीकर (राज.)।
5.	2309 / 2022	दिलीप कुमार तिवाड़ी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर, जिला सीकर (राज.)। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर। 5. प्रधानाध्यापक, शहीद जे.पी. यादव राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

आदेश की दिनांक : 05.04.2023

उपस्थित

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री लोकेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति एवं चाहा गया अनुतोष समान प्रकार के हैं और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2305/2022 रामकिशन राव बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थीगण को प्रथम चयनित वेतनमान पर 4200 ग्रेड पे, द्वितीय चयनित वेतनमान पर 4800 ग्रेड पे एवं तृतीय चयनित वेतनमान पर 5400 ग्रेड पे प्रदान की जावे तथा सातवें वेतन आयोग के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जावे और शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें। यदि अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गई है तो उन्हें वापिस किए जाने के निर्देश दिए जावें।

अपीलार्थी का अपील में अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर दिनांक 27.03.1992 में की गयी थी। उसके पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 22.10.2019 को कन्फर्म किया गया। अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर पदोन्नत होने तक अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्य करता रहा। अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करते हुए उसे अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 16.10.1997 को समायोजित किया गया और अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर वर्ष 1997 में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी ने वर्ष 2011 में विभागीय अनुमति उपरांत बी.एड. की योग्यता पूर्ण की और इस प्रकार अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.2002 को 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की और उसे आदेश दिनांक 29.01.2003 के द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी के 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 28.03.2011 के द्वारा दिया गया एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने

पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ वर्ष 2019 में दिया जाना था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दिया गया और उसे अधिशेष घोषित करते हुए अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.06.1990 के द्वारा यह कहा गया कि प्रशिक्षित प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने के हकदार हैं और उनकी वरिष्ठता प्रारंभिक नियुक्ति से ही मानी जाएगी। अपीलार्थी ने अपनी वरिष्ठता आदि से संबंधित प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 13.06.2022 को दिया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार न तो वेतन निर्धारण किया और ना ही उसका कोई निराकरण किया। उनका यह भी कथन है कि योगेश कुमार भारद्वाज बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामला भी अपीलार्थी के समान ही है, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रार्थी को सभी लाभ प्रदान किए गए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त सभी लाभों से वंचित रखा गया, जो नियमों एवं विधि विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थीगण को प्रथम चयनित वेतनमान पर 4200 ग्रेड पे, द्वितीय चयनित वेतनमान पर 4800 ग्रेड पे एवं तृतीय चयनित वेतनमान पर 5400 ग्रेड पे प्रदान की जावे तथा सातवें वेतन आयोग के अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जावे और शेष राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें। यदि अपीलार्थीगण से कोई वसूली की गई है तो उन्हें वापिस किए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। उक्त अध्यापकों को 9, 18, 27 वर्षीय ए.सी.पी. में प्रथम नियुक्ति पद प्रयोगशाला सहायक की एन्ट्री ग्रेड–पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा किया गया है। नियमानुसार अपीलार्थीगण की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800 के आधार पर 9, 18 व 27 वर्ष पर क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ए.सी.पी. स्वीकृत किये जाने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान के रूप में 4200 रूपये ही देय होकर अधिक भुगतान वसूली योग्य है। अपीलार्थी के

आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी एवं आदेश दिनांक 16.10.1997 द्वारा उसका समायोजन अध्यापक ग्रेड–तृतीय श्रेणी के पद पर किया गया है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानानुसार प्रथम सीधी नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी/चयनित वेतनमान देय होता है। वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से 4000–6000 निर्धारित किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2013 से प्रयोगशाला सहायक पद का प्रारम्भिक वेतन ग्रेड–पे 2800 दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया जाकर तत्पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान क्रमशः 3600, 4200 एवं 4800 ग्रेड–पे स्वीकृत किया जाना निर्धारित किया गया हैं। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम नियुक्ति पद के आधार पर एसीपी देय है। अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 12.09.2005 के द्वारा दिनांक 30.06.2005 से दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 06.01.2014 के द्वारा दिनांक 01.07.2013 से दिया गया तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ न देते हुए उसे अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। अतः अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें उन्होंने अपने–अपने अभिवचनों को दोहराया और अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गंभीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

हस्तगत अपीलों के अभिलेख एवं अभिवचनों से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 24.07.1997 एवं 27.08.1997 के द्वारा अधिशेष प्रयोगशाला सहायकों को अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। अपीलार्थीगण प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति प्रक्रिया से

चयनित होकर अधिशेष होने पर अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर समायोजित किये गये है। अतः प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक के पद पर समायोजित कार्मिक, नियमानुसार अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की अपीलें एतद्द्वारा स्वीकार की जाती हैं और यह आदेश भी दिया जाता है कि यदि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने के तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं।

उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उक्त अपीलार्थीगण को देय होने की स्थिति में (अध्यापक ग्रेड–तृतीय को देय अनुसार) चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ देकर फिक्सेशन किये जाने पर विचार किया जावे।

निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में, अपीलार्थीगण वसूल की गई राशि/वेतन से कटौती की गई राशि को 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की ब्याज दर से भुगतान की तिथि तक ब्याज प्राप्त करने के भी अधिकारी होंगे। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि में सुनिश्चित की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 2305/2022 रामकिशन राव बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में इस आदेश की एक–एक छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य